

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- ई-12/एम/नियु0/मृआ/2024/ 89

दिनांक:- 29-2-24

आदेश

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंघा पर निम्नलिखित आश्रितों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के पद पर उनके नाम के सम्मुख पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों के अधीन रिक्त पद पर किया जाता है। परिवीक्षा की कालावधि के दौरान निम्नलिखित मृतक आश्रितों को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.17 के द्वारा वाहन चालक को नियत 14600/- मासिक पारिश्रमिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियत 12400/- रूपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से वाहन चालक का नियमित वेतनमान लेवल इन पे-मेट्रिक्स एल-5 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद का नियमित वेतनमान लेवल इन पे-मेट्रिक्स एल-1 में नियमानुसार अनुज्ञात किया जावेगा :-

क्र. सं.	आश्रित / मृतक कर्मचारी का नाम/पता	जन्मतिथि	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	पद जिस पर नियुक्ति जा रही है	पदस्थापन स्थान
1	श्रीमती पूजा पत्नी स्व0 श्री जगदीश सैनी, च0श्रे0कर्म0 इन्द्रोली, तह0 कामां जिला-भरतपुर।	05.10.1992	7 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग के अधीन
2	श्रीमती बसन्ती नागर पत्नी स्व0 श्री अमित नागर, च0श्रे0कर्म0 पाली वालों का टीबा, कोलीया को कोठी, चौकडी तोपखाना, हजूरी थाना रामगंज, जयपुर।	03.05.1985	4 कक्षा पास	च.श्रे. कर्मचारी	निदेशालय मुख्यालय
3	श्रीमती ममता मीणा पत्नी स्व श्री सुनिल कुमार, नर्स-2 छापर गाडोली, तह0 जहाजपुर, जिला-भीलवाडा।	13.06.1987	8 वीं फेल RajKaj Ref 5843011	च.श्रे. कर्मचारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी के अधीन
4	श्रीमती हेमलता पत्नी स्व0 श्री	14.06.	साक्षर	च.श्रे. कर्मचारी	मुख्य चिकित्सा एवं

	हरीश रावत, च०श्रे०कर्म० राधेश्याम चक्की के पास, नगर निगम के पीछे, रावतों का मोहल्ला, बीकानेर।	1978			स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर के अधीन
5	श्रीमती रानी कुमारी नागर पत्नी स्व० श्री शिव प्रसाद नागर, नर्स-2 कुराडिया कला, तह० सांगोद, जिला-कोटा।	15.08. 1994	8 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक सलंगन चिकित्सालय समूह कोटा
6	श्री फैजान खान पुत्र स्व० श्री दिलशाद खान, नर्स-2 बी-95 शान्ति नगर, मदीना मस्जिद के पास, नाई की थडी (लालवास) रामगढ रोड, जयपुर 302016.	11.08. 1998	8 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	निदेशालय, मुख्यालय।
7	श्री खुशीराम मीणा पति स्व० श्रीमती विमलेश मीणा प्रसाविका ग्रा० पाटिकापुरा, पो० बुगडार, तह० मण्डरायल, जिला-करौली।	07.10. 1990	10 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली के अधीन
8	श्री शंकर पुत्र स्व० श्री विजयचन्द्र हरिजन, च०श्रे०कर्म० वार्ड न. 41, रतनगढ-चूरु।	05.10. 1992	असाक्षर	च.श्रे. कर्मचारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, चूरु के अधीन
9	श्री जितेन्द्र पुत्र स्व० श्री नानजी, च०श्रे०कर्म० गुन्दीवाली रेड, तह० गनोडा, जिला-बांसवाडा।	10.03. 1998	9 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगपुरा, बांसवाडा
10	श्री भूपेन्द्र पुत्र स्व० श्री जमना, च०श्रे०कर्म० नबीपुरा, आरा मशीन के पास, वार्ड नं. 40 बांसवाडा।	12.10. 1980	8 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ के अधीन
11	श्री मोहम्मद समीर पुत्र स्व० श्री निसार अहमद, च०श्रे०कर्म० राधाकिशनपुरा, वार्ड न. 01, सीकर।	28.07. 2004	10 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	चिकित्सा अधीक्षक, श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज, एवं सलंगन चिकित्सालय समूह, सीकर।

12	श्रीमती सुनीता पुत्री स्व० श्रीमती शकुन्तला, स्वीपर किसान कॉलोनी, वार्ड न. 11, झुन्डुनू	24.08.1984	9 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्डुनू के अधीन
13	श्री भागीरथ पुत्र स्व० श्री गुलाबचन्द स्वीपर म.न. 179 हीदा की मोरी, श्यामपुरी, रामगंज, जयपुर।	05.03.1988	8 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	निदेशालय मुख्यालय
14	श्री राहुल पुत्र स्व० श्रीमती मोहनी देवी, स्वीपर वार्ड न. नया 06, पुराना वार्ड न. 05 वाल्मिकी मन्दिर के पास श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर	12.08.1993	8 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के अधीन
15	श्री राजू पुत्र स्व० श्री रूपजी, च०श्रे०कर्मचारी मु०गागरी, पो० उपला घंटाला, जिला-बांसवाडा।	01.01.1986	5 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा के अधीन
16	श्री राकेश पुत्र स्व० श्री मदनलाल, वाहन चालक 55, राजीव नगर, बी,सेक्टर भदवासिया, जोधपुर।	01.10.1990	10 वीं फ़ेल	वाहन चालक	अधीक्षक, महात्मा गाँधी चिकित्सालय, जोधपुर
17	श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी स्व० श्री ललित कुमार, कनिष्ठ सहायक ग्रा० बटावदी पो० बिजोरा तह० अन्ता जिला बारा।	28.10.1987	6 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बटावदा, जिला बारा
18	श्री अमर डंगोरिया पुत्र स्व. श्रीमती पूनी देवी, स्वीपर निवासी-ए-152, झालाना डूंगरी, इन्द्रा नगर, जयपुर।	26.12.1995	साक्षर	च.श्रे. कर्मचारी	निदेशालय मुख्यालय
19	श्री नरेश कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री भेरिया मीणा, च.श्रे.कर्मचारी निवासी-ग्रा० धोली रेड, तह० सबला, जिला-डूंगरपुर।	08.10.1992	6 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ के अधीन
20	श्री मनीष कुमार पुत्र स्व. श्री राजकुमार धोबी, च.श्रे.कर्मचारी निवासी- मंगला धर्मकांटा, आइसर फैक्ट्री के सामने, अलवर।	17.12.1998	6 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के अधीन
21	श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी स्व.	31.05.	6 वीं	च.श्रे. कर्मचारी	अधीक्षक, जिला

RajKaj Ref
5843011

	श्री राणसिंह, नर्सिंग ऑफिसर-2 निवासी-हाथमा, तह0 रामसर जिला-बाडमेर।	1988	पास		चिकित्सालय, बाडमेर
22	श्रीमती दर्शना पत्नी स्व. श्री रोशनलाल स्वीपर निवासी-305, कच्ची बस्ती, सविना (ग्रामीण) उदयपुर।	01.01. 1986	साक्षर	च.श्रे. कर्मचारी	अधीक्षक, महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर
23	श्री गोतम दास पुत्र स्व0 श्री हेमाराम एम0पी डब्ल्यू निवासी-ग्रा0 / तहसील-गडरा रोड जिला-बाडमेर।	12.06. 2004	8 वीं पास	च.श्रे. कर्मचारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर के अधीन

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत मृतक आश्रित के रूप में नव नियुक्त उक्त आश्रितों को सरकारी सेवा में नव नियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अपनी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आवेदकों का संबंधित अधिकारी नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं प्राग्वृत्ति सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवायें, परन्तु नियुक्ति में प्रथम उपस्थिति के समय राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत अपने चरित्र के संबंध में दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो न कोई रिश्तेदार हो। इनके द्वारा कार्यग्रहण करते समय सम्बन्धित अधिकारी को अपनी जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगे। एवं वाहन चालक के पद पर नियुक्त आवेदकों को कार्यग्रहण करते समय संबंधित अधिकारी को हैवी वाहन चलाने का तीन वर्ष पुराना लाइसेंस एवं शारीरिक दक्षता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जिसकी जांच एवं संतुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारी इन्हें कर्तव्य पर लेंगे।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अध्याधीन पेंशन नियम लागू होंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प05(51)/कार्मिक/क-2/88 दिनांक 27.02.2001 के अन्तर्गत उपरोक्त मृतक आश्रित अपने पारिवारिक सदस्यों का उचित तौर पर भरण-पोषण करेंगे। नियुक्ति के पश्चात किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो शासन की इस अधिसूचना के अन्तर्गत इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

उक्त आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के समय में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक सामुहिक चिकित्सालय संघ/आवेदक द्वारा उपलब्ध

करवाई गई सूचना में गलत तथ्य या विसंगति पाई गई तो यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश उस संबंधित आवेदन की सीमा तक प्रारम्भ से ही शून्य होगा।

आश्रित को नियुक्ति दिये जाने का इन्द्राज मृतक की सेवा पुस्तिका में करें। इन्हें नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। इनके मूल आवेदन पत्रादि सम्बन्धित को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखा जायेगा।

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के परिपत्र/ज्ञापन क्रमांक एफ1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 क्रमांक एफ.16(2)एफडी/नियम/98 दिनांक 13.03.2006 क्रमांक एफ.12(6) एफडी/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 एवं कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.(1) कार्मिक/(क-2)/2016 दिनांक 15.07.2016 के प्रावधानों से शासित होगी।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

राज0 जयपुर

दिनांक:- 29-2-24

क्रमांक- ई-12/एम/नियु0/मूआ/2024/89

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राज0 जयपुर।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
- 3- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर।
- 4- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
- 5- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
- 6- उप निदेशक (अराजपत्रित)/संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित), अति0 निदेशक (प0क0) निदेशालय मुख्यालय।
- 7- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन 18-संबंधित अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह...../मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी...../ अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी...../प्रमुख चिकित्सा अधिकारी...../ जिला क्षय निवारण केन्द्र...../ उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी...../चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु0स्वा0 केन्द्र...../खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी..... को भेजकर लेख है कि संबंधित मृतक आश्रित का पुलिस वैरीफिकेशन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराये।
नोट:-सम्बन्धित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे है (रजिस्टर्ड पत्र)
- 8- प्रभारी, सामान्य अनुभाग अराजपत्रित, मुख्यालय।
- 9-प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 10-संबन्धित मृतक आश्रित को घर के पते पर।
- 11-आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

राज0 जयपुर

RajKaj Ref
5843011

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 29-02-2024 12:09:52